न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 18/2023

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री राजन अरोड़ा पुत्र श्री कस्तुरी लाल अरोड़ा —खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक— **मै0** राजन अरोड़ा पुत्र श्री कस्तुरी लाल अरोड़ा, दुकान नम्बर 92—93, तहबाजार, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक : **24.03.2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.08.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांकः—एफएसएसए/2020/830 दिनांक 26.10.2020 एवं क्षेत्राधिकार अधिसूचना 11.04.2012 अनुसार प्रकाशित के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.01.2022 को 11.00 ए.एम का **मै0** राजन अरोड़ा पुत्र श्री कस्तुरी लाल अरोड़ा, दुकान नम्बर 92—93, तहबाजार, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता राजन अरोड़ा पुत्र श्री कस्तुरी लाल अरोड़ा को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **सरसों का तेल (खुला)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान पर रखे एक पीपे में 10 किलोग्राम **सरसों का तेल (खुला)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। मुझे इसी **सरसों का तेल (खुला)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **सरसों का तेल (खुला)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **सरसों का तेल (खुला)** 1 किया 600 ग्राम को विक्रेता से क्रय किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **सरसों का तेल (खुला)** का नगद भुगतान 225/— रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे राजन अरोड़ा पुत्र श्री कस्तुरी लाल अरोड़ा एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक राजन अरोड़ा पुत्र श्री कस्तुरी लाल अरोडा को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों का तेल (खुला)** को बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। चारों बोतलों पर लैबल तैयार कर चिपकायें और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1297** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1297** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे राजन अरोडा पुत्र श्री कस्तुरी लाल अरोड़ा एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये । फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/45/एक्ट/2022/45 दिनांक 17.01.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1297 Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त राजन अरोडा पुत्र श्री कस्तुरी लाल अरोडा **मै0** राजन अरोड़ा पुत्र श्री कस्तुरी लाल अरोडा, दुकान नम्बर 92–93, तहबाजार, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **सरसों का तेल (खुला)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.02.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि :–

1. यह कि परिवाद की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य मिथ्या व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है। हमारी फर्म पर सरसों का खुला तेल विक्रय नहीं किया जाता है, दिनांक 05.01.2022 को उक्त मद में वर्णित अधिकारी मेरी फर्म पर पहुंचे तो मैने उनको अवगत करवाया कि सरसों का खुला तेल विक्रय नहीं किया जाता है तो अधिकारी ने दुकान के बाहर ग्राहक के द्वारा अन्य किसी स्थन पर लाये गये तेल के टिन में से केवल मात्र देखने का कहकर नमूना लिया तथा इसी नमूना को आधार बनाकर उक्त परिवाद पेश किया है। ग्राहक के द्वारा अन्य किसी स्थान से लाकर अपने सामान के साथ रखे गये तेल का नमूना लिया है। इसलिए उक्त तेल के नमूना के लिए मन उत्तरदाता किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
2. यह कि परिवाद की मद संख्या 3 के वर्णित तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किए गए है अस्वीकार है जैसा कि उपर वर्णित किया जा चुका है कि मन उत्तरदाता ने कभी भी आम जनता को विक्रय करने हेतू सरसों का तेल नहीं रखा बल्कि ग्राहक द्वारा अन्य स्थान से खरीद कर लाये गये तेल के नमूना को आधर बनाकर मुझे उक्त प्रकरण में संलिप्त किया जा रहा है, मन उत्तरदाता पूर्णत निर्देष है।
3. यह कि परिवाद की मद संख्या 4 व 5 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से दर्ज किये गये है अस्वीकार है, जांच कर्ता अधिकारी ने मन उतरदाता को मिथ्या प्रकरण में संलिप्त करने के आश्य से निराधार तरीके से उक्त कथन अंकित किये गये है।
4. यह कि परिवाद की मद संख्या 6 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है मन उत्तरदाता को नमूना लेने के तथ्यों से अवगत नहीं करवया बल्कि ग्राहक द्वारा अन्य किसी स्थान पर खरीदे गये तेल की औपचारिकता करने को कहा गया था। मन उत्तरदाता पूर्णत निर्दोष है।
5. यह कि परिवाद की मद संख्या 7 व 8 में वर्णित तथ्य परिवाद का आधार बनाने के लिए क्लेवर ड्राफटिंग का सहारा लेकर तैयार किया गया है।
6. यह कि परिवाद की मद संख्या 9,10 व 11 के तथ्य कानूनी है। मन उत्तरदाता राजन अरोड़ा अथवा मेरी मैसर्स राजन कुमार कस्तुरी लाल द्वारा कभी भी सरसों का खुला तेल विक्रय नहीं किया है व ना ही एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 26(2)(11) का उल्लधन नहीं किया है बल्कि इस प्रकरण में मुझे व मेरी फर्म को मिथ्या व आधरहीन तथ्यों पर संलिप्त किया जा रहा है।

अतः जवाब परिवाद पेश कर निवेदन है कि एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 26(2)(11) के तहत दायर किये गये परिवाद की कार्यवाही खारिज फरमायी जाने की कृपा करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **सरसों का तेल (खुला)** का सैम्पल **K-1297** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/45/एक्ट/2022/45 दिनांक 17.01.2022 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि परिवाद की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य मिथ्या व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है। हमारी फर्म पर सरसों का खुला तेल विक्रय नहीं किया जाता है, दिनांक 05.01.2022 को उक्त मद में वर्णित अधिकारी मेरी फर्म पर पहुंचे तो मैने उनको अवगत करवाया कि सरसों का खुला तेल विक्रय नहीं किया जाता है तो अधिकारी ने दुकान के बाहर ग्राहक के द्वारा अन्य किसी स्थन पर लाये गये तेल के टिन में से केवल मात्र देखने का कहकर नमूना लिया तथा इसी नमूना को आधार बनाकर उक्त परिवाद पेश किया है। ग्राहक के द्वारा अन्य किसी स्थान से लाकर अपने सामान के साथ रखे गये तेल का नमूना लिया है। इसलिए उक्त तेल के नमूना के लिए मन उत्तरदाता किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। परिवाद की मद संख्या 3 के वर्णित तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किए गए है अस्वीकार है जैसा कि उपर वर्णित किया जा चुका है कि मन उत्तरदाता ने कभी भी आम जनता को विक्रय करने हेतू सरसों का तेल नहीं रखा बल्कि ग्राहक द्वारा अन्य स्थान से खरीद कर लाये गये तेल के नमूना को आधर बनाकर मुझे उक्त प्रकरण में संलिप्त किया जा रहा है, मन उत्तरदाता पूर्णत निर्देष है। परिवाद की मद संख्या 9,10 व 11 के तथ्य कानूनी है। मन उत्तरदाता राजन अरोड़ा अथवा मेरी मैसर्स राजन कुमार कस्तुरी लाल द्वारा कभी भी सरसों का खुला तेल विक्रय नहीं किया है व ना ही एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 26(2)(11) का उल्लधन नहीं किया है बल्कि इस प्रकरण में मुझे व मेरी फर्म को मिथ्या व आधरहीन तथ्यों पर संलिप्त किया जा रहा है। अतः जवाब परिवाद पेश कर निवेदन है कि एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 26(2) (11) के तहत दायर किये गये परिवाद की कार्यवाही खारिज फरमायी जाने की कृपा करें।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Mustard Oil (Loose)" bearing Code No and Sr. No. K-1297 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभिय राजन अरोड़ा पुत्र श्री कस्तुरी लाल अरोड़ा को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त राजन अरोड़ा पुत्र श्री कस्तुरी लाल अरोड़ा को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000—00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में राजन अरोड़ा पुत्र श्री कस्तुरी लाल अरोड़ा खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर